न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी)एक्ट, हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6459

UPHM010001842010

विशेष वाद संख्या–14/2013

राज्य बनाम

1. **खूबचन्द्र** पुत्र सरजू
2. **अशोक** पुत्र खूबचन्द्र
3. **श्रीमती पुष्पा** पत्नी खूबचन्द्र

निवासीगण ग्राम बंडवा थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर उ0प्र0।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–489ए/2010
धारा–289, 336/34, 504 भा0दं0सं0
थाना–मुस्करा, जिला हमीरपुर।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता – श्री विशम्भर पाल, ए0डी0जी0सी0, कि0
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता – श्री राकेश यादव (एड0)

निर्णय

प्रस्तुत विशेष वाद पुलिस थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरूद्ध मु0अ0सं0–489ए/2010 अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित करने के आधार पर संस्थित हुआ। तदुपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा–289, 336/34, 504 भा0दं0सं0 के लिए किया गया।

वादिनी मुकदमा सरोज कुमार पत्नी वीरेन्द्र द्वारा दिनांक 01.07.2010 को थाना मुस्करा में इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम बण्डवा थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर की निवासिनी है, दिनांक 24.06.2010 को सुबह लगभग 09 बजे उसके छोटे भाइयों (बच्चों) एवं गयादीन पुत्र सरजू कोरी के बीच खेल–खेल में विवाद हो गया था, जिसमें दूसरे पक्ष गयादीन का भाई खूबचन्द्र पुत्र सरजू व अशोक पुत्र खूबचन्द्र व पुष्पा पत्नी खूबचन्द्र विवाद के बीच आ गये तथा उसके पक्ष से भी उसके भाई हरिमोहन पुत्र वीरेन्द्र व धीरेन्द्र पुत्र खलक सिंह आदि आ गये, उन लोगों ने मना किया कि आपस में झगड़ा न करो लेकिन तभी गुस्साये खूबचन्द्र ने अपना पालतू बन्दर हुलकार करके उन लोगों को तरफ इशारा करके छोड़ दिया जिसमें धीरेन्द्र व हरीमोहन आदि को पैरों में काट लिया तभी पुष्पा ने अपने हाथ में ईंट का टुकड़ा उठाकर उसे (सरोज कुमारी) को मारा, जिसमें उसके सिर में काफी चोटें आयीं व अशोक व खूबचन्द्र

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.05.07 13:29:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ने उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दीं और झगड़ने लगे। उक्त घटना रमाकान्त पुत्र रन्तदेव लोधी के मकान के पास की है।

वादिनी मुकदमा सरोज कुमारी की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 01.07.2010 को समय 18:45 बजे अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–489ए/2010, अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा0दं0सं0 थाना मुस्करा जिला हमीरपुर पंजीकृत की गयी तथा जिसका उल्लेख जी0डी0 संख्या–38 में दिनांक 01.07.2010 को समय करीब 18:45 बजे अंकित किया गया।

विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण करके साक्षीगण के बयान अंकित करने व अन्य प्रपत्र संकलित करने के उपरांत विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की तथा अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरूद्ध मु०अ०सं०–489ए/2010, अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा0दं0सं0, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–163/2010 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दाण्डिक वाद सं0–877/2010 मु0अ0सं0–489ए/2010 राज्य बनाम खूबचन्द्र एवं 02 अन्य, अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा0दं0सं0 थाना मुस्करा जिला हमीरपुर की पत्रावली विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 207 द0प्र0सं0 के तहत नकलें प्रदान कर सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 16.02.2013 द्वारा मामले को सत्र के सुपुर्द की गयी जो अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई जोकि विशेष वाद सं0–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र एवं 02 अन्य के रूप में दर्ज की गयी।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2013 को उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–289, 336/34, 504 भा0दं0सं0 के तहत विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है जिनके द्वारा विभिन्न अभियोजन प्रपत्र को साबित किया गया है–

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	पी0डब्ल्यू0–1 सरोज कुमारी	वादिनी मुकदमा	तहरीर दिनांकित 01.07.2010	प्रदर्श क–1
2	पी0डब्लू0–2 धीरेन्द्र कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
3	पी0डब्लू0–3 हरीमोहन	चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
4	पी0डब्लू0–4 डॉ0 आशुतोष	मेडिकल कर्ता	इंजरी रिपोर्ट चुटहिल सरोज	प्रदर्श क–2

	मिश्रा		कुमारी दिनांक 01.07.2010 इंजरी रिपोर्ट चुटहिल हरीमोहन दिनांक 01.07.2010	प्रदर्श क–3
5.	पी0डब्लू0–5 कां0मु0 इन्द्रपाल सिंह	चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 लेखक	चिक एफ0आई0आर0 दिनांक 01.07.2010	प्रदर्श क–4
			जी0डी0 कायमी सं0–38 दिनांक 01.07.2010	प्रदर्श क–5
6	पी0डब्लू0–6 उ0नि0 रामजियावन	विवेचक	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6
			आरोप पत्र सं0–163/2010	प्रदर्श क–7
			गिरफ्तारी प्रपत्र खूबचन्द्र दिनांक 26.11.2010	प्रदर्श क–8
			गिरफ्तारी प्रपत्र अशोक दिनांक 25.11.2010	प्रदर्श क–9

अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया है।

अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् दि0 07.02.2026 को अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षीगण द्वारा गलत बयान देने, घटना के दिनांक व समय पर अपने घर होने तथा रंजिशन झूठा मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है, इसके साथ ही उक्त अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कागजात सूची 153ख से कागज सं0–154ख/2 नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–489/2010, राज्य प्रति जयपाल आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर, कागज सं0–155ख/2 नकल आरोप पत्र मु0असं0–489/2010, कागज सं0–156ख/2 नक्शा नजरी, कागज सं0–157ख/2 लगायत 157ख/3 नकल फर्देकाम मु0अ0सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि, कागज सं0–158ख/2 लगायत 158ख/4 नकल बयान पी0डब्लू0–4 चिकित्सक धर्मेन्द्र सिंह प्रपत्र दाखिल किये हैं।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे रन्तदेव लोधी के मकान के पास बहद ग्राम बण्डवा बहद थाना मुस्करा जिला हमीरपुर ने अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके छोड़ दिया, जिससे बन्दर ने धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लिया तथा अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार किया, जिससे वादिनी को चोटें आयीं तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ आसाम 2008 ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट 2467** एवं **दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2009 (67) ए0सी0सी0 सुप्रीम कोर्ट 734** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके अपना पालतू बन्दर छोड़ दिया गया और एकराय होकर वादिनी पुष्पा ने ईंट के टुकड़े से वादिनी मुकदमा के सिर पर प्रहार किया गया तथा गाली–गलौज की है। आघात आख्या चुटहिल सरोज कुमार प्रदर्श क–2 व आघात आख्या चुटहिल हरीमोहन प्रदर्श क–4 में आयी चोटें, अभियोजन कथानक का समर्थन करती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को भी मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। बल्कि वादिनी मुकदमा व उसके परिवारीजन द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी है, जिसके संबंध में एक मुकदमा विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि मु0अ0सं0–489/2010 थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर विचाराधीन है, जोकि उक्त मुकदमे का क्रास केस है, उपरोक्त मुकदमे कमजोर करने एवं दबाव बनाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से व सोच समझकर

दर्ज करायी गयी है। किसी भी चुटहिल के बन्दर के काटने की चोट नहीं आयी, न ही किसी भी चुटहिल के डॉक्टरी मुआयना में बन्दर के काटने की चोट दर्शायी गयी है। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

धारा 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई तथ्य तब साबित माना जायेगा जब न्यायालय अपने साक्ष्य के विषयों पर विचार करने के बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयो पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है जब कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आती है और उसका विधिक परीक्षण किया जाता है तो वह एक विधिक प्रमाण का रूप ले लेती है।

लार्ड डेनिग ने वाटर बनाम वाटर(1950) के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि कोई संदेह जो अभियुक्त के द्वारा उठाया गया है वह एक युक्तियुक्त संदेह होना चाहिये और संदेह के मामलो में जो मानक अपनाया जाना चाहिये, वह ऐसा मानक होना चाहिये जो कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपना सकता है, संदेह काल्पनिक नहीं होना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **रमेश हरिजन बनाम उ0प्र0 राज्य (2012)5 एस0सी0सी0 777** और **एच0पी0 एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओमप्रकाश, ए0आई0आर0 1972, सुप्रीम कोर्ट 1995** के मामले में संदेह की बाबत मत व्यक्त किया गया है कि संदेह युक्तियुक्त होना चाहिये।

इस मामले में जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश किया गया है उसकी विवेचना किये जाने से पूर्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–289, 336, 34, 504 के आरोप को सिद्ध करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिशा निर्देश व विधि व्यवस्थाओं में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन सिद्धान्तों के तहत इस मामले में अभियोजन साक्ष्य का विस्तृत व सम्यक विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा।

धारा 289 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव–जन्तु के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था का, जो ऐसे जीव–जन्तु से मानव–जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट या घोर उपहति के किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के

लिए पर्याप्त हो, जानते हुये या उपेक्षापूर्ण लोप करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार तक की हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव–जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार – जो कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जाने हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति या कोई अन्य अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त मामले के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं जिन पर प्रस्तुत अभियोजन एवं बचाव साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाना है :–

1– क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ा कर करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ?

2– क्या अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे रन्तदेव लोधी के मकान के पास बहद ग्राम बण्डवा बहद थाना मुस्करा जिला हमीरपुर ने अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके छोड़ दिया, जिससे बन्दर ने धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लिया तथा अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार किया, जिससे वादिनी को चोटें आयीं तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया ?

<u>निर्णायक बिन्दु सं0–1</u>

क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ा कर करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ?

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना दिनांक 24.06.2010 रात 09 बजे की होने का कथन किया है, जबकि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.07.2010 को समय 18:45 बजे काफी विलम्ब से व सोच समझकर पंजीकृत करायी गयी है, इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण मामला संदेहास्पद होने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना के उपरांत वादिनी मुकदमा थाने गयी थी, किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। इसी प्रकार वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 ने अपने बयानों में थाने जाने का कथन किया है, इसी प्रकार अपनी प्रतिपरीक्षा में यह उल्लेख किया है, इस मुकदमे की घटना दिनांक 24.06.2010 की हे, जबकि उसकी रिपोर्ट दिनांक 01.07.2010 को लिखी गयी थी। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–1 द्वारा यह भी कहा गया कि उसके सिर में चोट होने के कारण वह लिख नहीं पा रही थी, इसलिये तहरीर उसने प्रताप से लिखायी थी। पत्रावली में शामिल कागज सं0–5क को पढ़कर साक्षी ने प्रताप से बोल–बोलकर लिखाये जाने का कथन किया तथा तहरीर पर अंकित अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया। पत्रावली में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–489ए/2010, अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा0दं0सं0, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर में दिनांक 01.07.2010 को समय 18:45 बजे अंकित की गयी है, जिसकी कायमी जी0डी0 सं0–38 दिनांक 01.07.2010 को समय 18:45 बजे अंकित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0डी0 को साक्षी पी0डब्लू0–5 कां0मु0 इन्द्रपाल सिंह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है।

विधि व्यवस्था **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 2014 (85) ए0सी0सी0 644** में यह अवधारित किया गया है कि :

"9. …. it is settled law that mere delay in lodging the First Information Report cannot by itself be regarded as fatal to the prosecution case. True it is, the court has a duty to take notice of the delay and examine the same in the backdrop of the factual score, whether there has been any acceptable explanation offered by the prosecution and whether the same deserves acceptation being

satisfactory but when delay is satisfactorily explained, no adverse inference is to be drawn. ….."

उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट को देरी से अंकित करने के आधार पर अभियोजन का मामला खण्डित नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि ऐसी देरी की मामलें के तथ्यों के प्रकाश में परीक्षा करे तथा देखें कि क्या अभियोजन की ओर से स्वीकार किए जाने योग्य कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। यदि देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है, तब देरी के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नही निकाला जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय **रामदास बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एस0सी0सी0 एवं राजस्थान राज्य बनाम एन0के0 (2000) 5 एस0सी0सी0 30** में यह सिद्धांत अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना अभियोजन केस को प्रभावित नहीं करता है, विलम्ब के पीछे के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना दिनांक 24.06.2010 की सुबह 09 बजे की होने तथा मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.07.2010 को समय 18:45 बजे थाना मुस्करा में अंकित कराये जाने का कथन किया है। साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा द्वारा उपरोक्त घटना की रिपोर्ट करने हेतु थाने जाने का कथन किया है तथा उसके सिर में गंभीर चोट आने के कारण स्वाभाविक रूप से पहले अपना इलाज करायेगा, उसके पश्चात् ही प्रथम सूचना रिपोर्ट करायेगा, इस प्रकार उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया गया है, जो भी विलंब हुआ है वह स्वभाविक प्रकृति का है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब से होने के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाता है।

निर्णायक बिन्दु सं0–1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>निर्णायक बिन्दु सं0–2</u>

निर्णायक बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे रन्तदेव लोधी के मकान के पास बहद ग्राम बण्डवा बहद थाना मुस्करा जिला हमीरपुर ने अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर**

इशारा करके छोड़ दिया, जिससे बन्दर ने धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लिया तथा अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार किया, जिससे वादिनी को चोटें आयीं तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया ?

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर आरोप है कि क्या अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे रन्तदेव लोधी के मकान के पास बहद ग्राम बण्डवा बहद थाना मुस्करा जिला हमीरपुर ने अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके छोड़ दिया, जिससे बन्दर ने धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लिया तथा अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार किया, जिससे वादिनी को चोटें आयीं तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम ओमपाल एवं अन्य ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 2072, छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 3604, बलीराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 2017 (3) क्राइम्स 393 एस0सी0** एवं **ऋषि केश सिंह व अन्य बनाम स्टेट, ए0आई0आर0 1970 इलाहाबाद 51** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके अपना पालतू बन्दर छोड़ दिया गया और एकराय होकर वादिनी पुष्पा ने ईंट के टुकड़े से वादिनी मुकदमा के सिर पर प्रहार किया गया तथा गाली–गलौज की है। आघात आख्या चुटहिल सरोज कुमार प्रदर्श क–2 व आघात आख्या चुटहिल हरीमोहन प्रदर्श क–4 में आयी चोटें, अभियोजन कथानक का समर्थन करती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को भी मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। बल्कि वादिनी मुकदमा व उसके परिवारीजन द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी है, जिसके संबंध में एक मुकदमा विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि मु0अ0सं0–489/2010 थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर विचाराधीन है, जोकि उक्त मुकदमे का क्रास केस है, उपरोक्त मुकदमे कमजोर करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से व सोच समझकर दर्ज करायी गयी है। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

वादिनी मुकदमा सरोज कुमारी द्वारा थाना मुस्करा में इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम बण्डवा थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर की निवासिनी है, **दिनांक 24.06.2010 को सुबह लगभग 09 बजे उसके छोटे भाइयों (बच्चों) एवं गयादीन पुत्र सरजू कोरी के बीच खेल–खेल में विवाद हो गया था,** जिसमें दूसरे पक्ष **गयादीन का भाई खूबचन्द्र पुत्र सरजू व अशोक पुत्र खूबचन्द्र व पुष्पा पत्नी खूबचन्द्र विवाद के बीच आ गये** तथा **उसके पक्ष से भी उसके भाई हरिमोहन पुत्र वीरेन्द्र व धीरेन्द्र पुत्र खलक सिंह आदि आ गये,** उन लोगों ने मना किया कि आपस में झगड़ा न करो लेकिन **तभी गुस्साये खूबचन्द्र ने अपना पालतू बन्दर हुलकार करके उन लोगों को तरफ इशारा करके छोड़ दिया जिसमें धीरेन्द्र व हरीमोहन आदि को पैरों में काट लिया तभी पुष्पा ने अपने हाथ में ईंट का टुकड़ा उठाकर उसे (सरोज कुमारी) को मारा, जिसमें उसके सिर में काफी चोटें आयीं व अशोक व खूबचन्द्र ने उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दीं और झगड़ने लगे।** उक्त घटना रमाकान्त पुत्र रन्तदेव लोधी के मकान के पास की है।

साक्षी पी0डब्लू0–1 सरोज कुमारी (वादिनी मुकदमा) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह अभियुक्तगण को जानती पहचानती है, वे उसके गांव के हैं। **घटना दिनांक 24.06.2010 सुबह 09 बजे की रन्तदेव के मकान के पास की है। उसके चाचा का लड़का और खूबचन्द्र का भाई गयादीन खेल रहे थे, संदीप के 15 रूपये गयादीन लिये था, गयादीन ने रूपया देने से मना किया तो इसी में झगड़ा हुआ।** झगड़े की आवाज सुनी तो खूबचन्द्र की पत्नी पुष्पा व उसका लड़का अशोक घटनास्थल पर आ गये, **खूबचन्द्र की पत्नी ने उसे पत्थर से उसके सिर में मार दिया, जिससे उसके सिर में चोट आ गयी थी, खूबचन्द्र व अशोक उससे झगड़ने लगे थे और भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे थे। खूबचन्द्र अपने साथ पालतू बन्दर लिये था, उसने इशारा करके बन्दर को उसकी तरफ छोड़ दिया था, बन्दर ने उसके भाई धीरेन्द्र और हरिमोहन के काट लिया था।** दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि **उसके छोटे भाई से व गयादीन से वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद पत्ते खेलने में गयादीन द्वारा पैसे न देने पर हुआ था। घटना वादी जगह मुल्जिम आवाज सुनकर तुरन्त आ गये थे, धीरेन्द्र और हरीमोहन दोनों बन्दर ने काटा था, पैर में काटा था।** यह कहना गलत है कि उसने अपने भाइयों को बचाने दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया है।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 जोकि उपरोक्त मामले की वादिनी मुकदमा व चुटहिल चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बयान दिया गया कि घटना दिनांक 24.06.2010 सुबह 09 बजे की रन्तदेव के मकान के पास की है। उसके चाचा का लड़का और खूबचन्द्र का भाई गयादीन खेल रहे थे, संदीप के 15 रूपये गयादीन लिये था, गयादीन ने रूपया देने से मना किया तो इसी में झगड़ा हुआ। खूबचन्द्र की पत्नी ने उसे पत्थर से उसके सिर में मार दिया, जिससे उसके सिर में चोट आ गयी थी, खूबचन्द्र व अशोक उससे झगड़ने लगे थे और भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे थे। खूबचन्द्र अपने साथ पालतू बन्दर लिये था, उसने इशारा करके बन्दर को उसकी तरफ छोड़ दिया था, बन्दर ने उसके भाई धीरेन्द्र और हरिमोहन के काट लिया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षी द्वारा बयान दिया गया कि उसके छोटे भाई से व गयादीन से वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद पत्ते खेलने में गयादीन द्वारा पैसे न देने पर हुआ था। घटना वाली जगह मुल्जिम आवाज सुनकर तुरन्त आ गये थे, धीरेन्द्र और हरीमोहन दोनों बन्दर ने काटा था, पैर में काटा था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने उसके चाचा के लड़के व खूबचन्द्र के भाई के बीच खेल में रूपये की लेन–देन को लेकर झगड़ा होने व इसी से उत्पन्न विवाद के कारण अभियुक्तगण द्वारा बन्दर से कटाने एवं खूबचन्द्र की पत्नी ने उसके सिर पर पत्थर से चोट पहुंचाये जाने का स्पष्ट बयान दिया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

साक्षी पी0डब्लू0–2 धीरेन्द्र (चक्षुदर्शी/चुटहिल साक्षी) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा वह कथन किया कि वह अपने गाँव के अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक कुमार व पुष्पादेवी को जानता पहचानता है। **घटना दिनाँक 24.06.2010 समय सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास की है। वहाँ पर गयादीन व संदीप दोनों खेल रहे थे। गयादीन संदीप के पन्द्रह रुपये लिये था संदीप ने गयादीन से अपने पन्द्रह रुपये मांगे तो संदीप से गयादीन लड़ाई झगड़ा करने पर उतारु हो गया व गंदी गंदी गाली देने लगा** और वह वही पर आ गया था। **वहाँ पर ज्यादा शोर शराबा होने से खूबचन्द्र उसकी पत्नी पुष्पा व उसका बेटा अशोक वहाँ पर आ गये थे और वह लोग भी आकर गाली गलौज करने लगे** फिर उसने उनको समझाया व गाली देने से मना किया लेकिन वह लोग उसकी कोई बात नही माने व उसे भी मारने लगे और उसने उसे पत्थर

से मारा वह पत्थर उसके पेट में लगा था। **फिर उसने अपना पालतू बन्दर इशारा करके उसके ऊपर छोड़ दिया और उसकी बहन सरोज भाई हरिमोहन सभी लोग मौके पर मौजूद थे बन्दर ने उसके पैर वह काट लिया था बन्दर के काटने से उसका पैंट फट गया था और उसके भाई हरिमोहन को भी बन्दर ने पैर वह काटा था व उसकी बहन सरोज के भी बन्दर ने काटा था तथा खूबचन्द्र लोगों ने पत्थर से मारा था।** फिर वह लोग थाने गये थे वहाँ पर दीवान जी ने चिठ्ठी बनायी उसके बाद वह लोग मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल गये वहाँ पर उन लोगों नें अपना मेडिकल कराया। फिर वह लोग अपने घर चले आये थे। घटना के सम्बन्ध वह दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया कि **संदीप व गयादीन के बीच ताश–पत्ते वह पन्द्रह रुपये के लेन–देन का विवाद था।** जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन शाम को थाने गये थे उसी दिन उनकी डॉक्टरी हुई थी फिर दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसके कहीं चोटे नही थी बल्कि बन्दर ने उसके पैंट वह काटा था। **जब वह पहुँचा था तब मोहल्ले के खूबचन्द्र, उसकी पत्नी पुष्पा थी और गाँव के 10–15 लोग थे कौन–कौन लोग थे उनके नाम उसे याद नही है।** यह कहना गलत है कि वह जानबूझकर गाँव वालो का नाम नही बता रहा है क्योकि कोई झगड़ा ही न हुआ हो। सरोज उसके मामा की लड़की है। **सरोज को बन्दर ने काटा था। उसे याद नही है** कि सरोज को बन्दर ने कहाँ पर काटा था। उसके खिलाफ पुष्पा वगैरह की मारपीट का मुकदमा इसी अदालत वह चल रहा है। **तांश के पत्ते का खेल मुन्नीलाल के चबूतरे वह हो रहा था।** वह नही बता सकता कि ताश पत्ता कौन कौन खेल रहा था। झगडे वह पहले उसके घर का कौन कौन पहुँचा था वह नहीं बता सकता, सबसे बाद वह पहुँचा था। **उसे यह नहीं पता है कि लड़ाई झगड़ा कितने पहले शुरु हो गया था। जब वह पहुँचा था तब गाली गलौज हो रहा था। जब वह पहुंचा था तब खूबचन्द्र वगैरह सब लोग थे और उसके घर के संदीप, हरिमोहन, सरोज थे। उस समय गाँव के लोग भी थे।** यह कहना गलत है कि वह अपने व अपने परिवारवालों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 उपरोक्त मामले का चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि घटना दिनाँक 24.06.2010 समय सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास की है। वहाँ पर गयादीन व संदीप दोनों खेल रहे थे। गयादीन संदीप के पन्द्रह रुपये लिये था संदीप ने गयादीन से अपने पन्द्रह रुपये मांगे तो संदीप से गयादीन लड़ाई झगड़ा करने पर उतारु हो गया व गंदी गंदी गाली देने लगा। वहाँ पर ज्यादा शोर शराबा होने से खूबचन्द्र, उसकी पत्नी पुष्पा व उसका बेटा अशोक वहाँ पर आ गये थे और वह लोग भी आकर गाली गलौज करने

लगे फिर उसने उसे पत्थर से मारा वह पत्थर उसके पेट वह लगा था। फिर उसने अपना पालतू बन्दर इशारा करके उसके ऊपर छोड़ दिया और उसकी बहन सरोज भाई हरिमोहन सभी लोग मौके पर मौजूद थे बन्दर ने उसके पैर में काट लिया था और उसके भाई हरिमोहन को भी बन्दर ने पैर में काटा था व उसकी बहन सरोज के भी बन्दर ने काटा था तथा खूबचन्द्र लोगों ने पत्थर से मारा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि संदीप व गयादीन के बीच ताश–पत्ते वह पन्द्रह रुपये के लेन–देन का विवाद था। जब वह पहुँचा था तब मोहल्ले के खूबचन्द्र, उसकी पत्नी पुष्पा थी और गाँव के 10–15 लोग थे। सरोज को बन्दर ने काटा था, उसे याद नहीं है, जबकि सरोज पी0डब्लू0–1 के द्वारा अपने भाई वीरेन्द्र व हरीमोहन को बन्दर ने काटना बताया है एवं स्वयं सरोज के द्वारा उसे बन्दर के काटने का कोई बयान नहीं दिया है, न ही मेडिकल में किसी भी चुटहिल के बन्दर काटने की कोई चोट आयी न ही डॉ0 पी0डब्लू0–4 के द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया है। उसके खिलाफ पुष्पा वगैरह की मारपीट का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा है। ताश के पत्ते का खेल मुन्नीलाल के चबूतरे में हो रहा था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने बयानों में घटना दिनाँक 24.06. 2010 समय सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास की होने तथा वहाँ पर गयादीन व संदीप के बीच ताश के पत्ते के खेल के दौरान रूपये की लेन–देन के कारण उपरोक्त विवाद होने का स्पष्ट कथन किया है।

साक्षी पी0डब्लू0–3 हरिमोहन (चक्षुदर्शी/चुटहिल साक्षी) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा वह कथन किया कि वह अभियुक्तगण को भी जानता पहचानता है, यह सभी लोग उसके गाँव बण्डवा के रहने वाले है। **घटना दिनाँक 24.06. 2010 समय करीब सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास की है। उसके छोटे भाई संदीप से खूबचन्द्र का बड़ा भाई गयादीन पन्द्रह रुपये लिये था। जब उसके भाई संदीप ने अपने पैसे मांगे तो गयादीन गाली–गलौज करने लगा तथा मारने पीटने को तैयार था।** फिर उसकी बहन सरोज वहाँ आ गयी और खूबचन्द्र की पत्नी पुष्पा भी वहाँ आ गयी थी और पत्थर से मारने लगी। वह अपने घर पर था उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो **वह बाहर आया तो देखा कि वहाँ पर खूबचन्द्र, पुष्पादेवी, अशोक, उसकी बहन सरोज की मारपीट कर रहे थे उसने बीच–बचाव करने का प्रयास किया तो खूबचन्द्र ने बन्दर को इशारा करके छोड़ दिया। बन्दर ने उसे, संदीप व धीरेन्द्र को काट लिया था। खूबचन्द्र, अशोक व पुष्पादेवी गाली–गलौज करते हुए चले गए थे।** फिर वह लोग थाना मुस्करा गये थे। वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद पुलिस वालों ने उसे सरकारी अस्पताल मुस्करा भेजा था जहां पर उसका, सरोज व धीरेन्द्र का डॉक्टरी इलाज हुआ था। घटना के सम्बन्ध वह दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया कि **वह लोग थाने दिनाँक 24.06.2010 को गये थे उसी दिन डॉक्टरी हुई थी।** उसके दाये पैर के घुटने व बांये हाथ में चोट आयी थी। मुल्जिमानो ने उसे पत्थरो से मारा था व उसके ऊपर बन्दर छोड़ दिया था। उसे आठ–दस पत्थर मुल्जिमानो ने मारे थे उसकी बहन सरोज को, संदीप को व धीरेन्द्र को भी पत्थर मारा था। **धीरेन्द्र के पैर व पेट पर चोट लगी थी। धीरेन्द्र के पेट व पैर दोनो जगह से खून निकला था।** उसके हाथ से खून निकला था। **उसके खिलाफ पुष्पादेवी वगैरह की मारपीट का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा है उसमें आज तारीख लगी है।** घटना के समय गयादीन की उम्र 45 साल थी। घटना के समय संदीप की उम्र 13 वर्ष थी। पन्द्रह रुपये के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। **कंचा (कांच की गोली) के खेल में लेन देन था इसी बात का विवाद था। ताश पत्ते का विवाद नही था।** सरोज के सिर वह दो जगह चोट थी। इसके आलावा और कितनी चोटें थी कहाँ–कहाँ थी उसे जानकारी नही है। दिनाँक 24.06.2010 को थाना मुस्करा वहलोग सुबह 10 बजे पहुँच गये थे। उसने दरोगा जी को यह बता दिया था कि कंचा के खेल वह लेन देन था इसी लेन देन में पन्द्रह रुपये को लेकर विवाद हुआ था। यदि दरोगा जी ने ना लिखा हो तो वह इसकी कोई वजह नही बता सकता है। झगड़े के समय मोहल्ले के बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे। बन्दर ने सरोज को, उसे व धीरेन्द्र को काटा था। **बन्दर के काटने पर उसके खून निकला था धीरेन्द्र व सरोज के खून निकला था या नहीं उसे याद नहीं है।** कंचे का खेल रंतदेव के मकान के सामने रास्ते में हो रहा था। उसे नहीं मालूम कि कंचे का खेल कौन कौन खेल रहा था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट न की हो, न ही गाली–गलौज किया हो। यह कहना गलत है कि घटना के समय अभियुक्तगण के पास कोई बन्दर न हो। यह कहना गलत है कि वहलोगों के खिलाफ पुष्पा वगैरह ने मारपीट की हो और बचत वह गलत मुकदमा अभियुक्तगण के खिलाफ लिखवाया हो।

इस प्रकार उक्त साक्षी पी0डब्लू0–3 जोकि उपरोक्त मामले का चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया कि घटना दिनाँक 24.06.2010 समय करीब सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास उसके छोटे भाई संदीप से खूबचन्द्र का बड़ा भाई गयादीन के बीच कंचा खेलने के दौरान पन्द्रह रुपये को लेकर विवाद होने तथा वहाँ पर खूबचन्द्र, पुष्पादेवी, अशोक, उसकी बहन सरोज की मारपीट करने तथा उसके द्वारा बीच–बचाव करने का प्रयास करने पर खूबचन्द्र ने बन्दर को इशारा करके छोड़ दिया। बन्दर ने उसे, संदीप व धीरेन्द्र को काट लिया था। खूबचन्द्र, अशोक व पुष्पादेवी गाली–गलौज करते हुए चले गए थे। धीरेन्द्र के पैर व पेट वह चोट लगी थी। धीरेन्द्र के पेट व पैर दोनो जगह से खून निकला था। उसके हाथ से खून निकला था। उसके खिलाफ पुष्पादेवी वगैरह की मारपीट का मुकदमा इसी अदालत

वह चल रहा है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पन्द्रह रुपये के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सरोज के सिर वह दो जगह चोट थी। दिनाँक 24.06.2010 को थाना मुस्करा वह लोग सुबह 10 बजे पहुँच गये थे। उसने दरोगा जी को यह बता दिया था कि कंचा के खेल वह लेन देन था इसी लेन देन वह पन्द्रह रुपये को लेकर विवाद हुआ था। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा ताश पत्ते के खेल के स्थान पर कंचा का खेल बताया जो अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता है। बन्दर ने सरोज को, उसे व धीरेन्द्र को काटा था। बन्दर के काटने पर उसके खून निकला था। जबकि उक्त साक्षी के द्वारा पी0डब्लू0–1 व 2 के बयान से बढ़ते हुए संदीप को भी बन्दर से काटने का बयान दिया जबकि उक्त कथन भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता है तथा बन्दर के काटने से खून निकलने का भी अभियोजन कथानक व पी0डब्लू0–1 व 2 के कथनों से इतर बढ़ोत्तरी करते हुए बयान दिया, जबकि किसी चुटहिल के बन्दर के काटने की कोई चोट नहीं आयी है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने बयानों में घटना दिनाँक 24.06.2010 समय करीब सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास उसके छोटे भाई संदीप से खूबचन्द्र का बड़ा भाई गयादीन के बीच पन्द्रह रुपये को लेकर विवाद होने तथा वहाँ पर खूबचन्द्र, पुष्पादेवी, अशोक, उसकी बहन सरोज को पत्थर मारने तथा उसके द्वारा बीच–बचाव करने का प्रयास करने व गाली गलौज करने का बयान दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त साक्षी ने अपने बयानों में उसके छोटे भाई संदीप से गयादीन के बीच कंचा खेलने के दौरान पन्द्रह रुपये को लेकर विवाद होना बताया है, जबकि अन्य साक्षीगण के बयानों में ताश खेलने के दौरान रूपये के लेकर विवाद होना कहा, न कि कंचा खेलने का है तथा बयानों में अन्य के साथ संदीप के बन्दर से काटने व बन्दर के काटने से साक्षी के खून निकलने का बयान Improvement दर्शित करता प्रतीत होता है। जिससे उक्त साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है।

साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 आशुतोष मिश्रा (मेडिकलकर्ता) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा वह कथन किया कि वह दिनांक 01.07.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा वह चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन शाम आठ बजे **सरोज कुमारी** पुत्री वीरेन्द्र राजपूत महिला 19 वर्ष निवासी बंडवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिनको होमगार्ड रामअवतार थाना मुस्करा लेकर आये थे। उसने चुटहिल की पहचान के रूप वह चेहरे के दाहिने हिस्से वह काला तिल का होना अंकित किया था। मजरूबा के शरीर पर दौरान परीक्षण निम्नलिखित चोटें पायी गयी, चोटों का विवरण निम्न है–

1. हील्ड एबरेडेड घाव आकार 1 X 5 सेमी दाहिनी आईब्रो के ऊपर माथे पर।

2. हील्ड एबरेडेड घाव पपड़ी हटी हुयी आकार 0.5 X 0.5 सेमी कपाल पर।

उसकी राय वह ये सामान्य चोटें थी जो शरीर के हिस्से की खुरदुरी सतह से सम्पर्क पर आने से संभव थी, और जिसकी कालावधि लगभग एक सप्ताह पुरानी थी। पत्रावली वह संलग्न कागज सं०–9क/1 इंजरी रिपोर्ट को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया।

उसी दिन उसने समय शाम आठ बजकर पंद्रह मिनट पर **हरिमोहन** पुत्र वीरेंद्र सिंह पुरुष उम्र 20 वर्ष निवासी बंडवा थाना मुस्करा जिला वहीरपुर का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिनको होमगार्ड रामअवतार थाना मुस्करा लेकर आये थे। उसने चुटहिल की पहचान के रूप वह छाती के दाहिनी तरफ काला तिल का होना अंकित किया था। दौरान परीक्षण मजरूब के निम्नलिखित चोटें पायीं गयीं जिनका विवरण निम्न है।

1. हील्ड अबरेडेड घाव दाहिने घुटने पर आकार 0.5 X 0.5 सेमी
2. कमर वह दर्द परंतु कोई बाह्य चोट नहीं दिखी।
3. बाएं अग्रबाहु के बाहरी हिस्से पर दर्द की शिकायत परंतु कोई जाहिरा चोट नहीं दिखी।

उसकी राय वह चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और चोट सं०–1 का शरीर के हिस्से के किसी रफ सतह के सम्पर्क पर आने से संभव है। चोट की कालावधि लगभग एक सप्ताह की थी। मजरूब का बायां निशानी अंगूठा इंजरी रिपोर्ट वह लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित है।

उसने उसी दिन समय आठ बजकर तीस मिनट रात्रि वह **धीरेंद्र** पुत्र खलक सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी बंडवा थाना मुस्करा जिला वहीरपुर का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिनको होमगार्ड रामअवतार थाना मुस्करा लेकर आये थे। दौरान परीक्षण मजरूब के निम्न चोट पायी गयी जिसका विवरण निम्न है।

1. हील्ड एबरेडेड घाव दाहिने पैर के अंदरूनी हिस्से पर लगभग एक सेमी लंबी लकीर के रूप वह था। उसकी राय वह चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और चोट का शरीर के हिस्से के किसी रफ सतह के सम्पर्क पर आने से संभव है। चोट की कालावधि लगभग एक सप्ताह की थी। मजरूब का बांया निशानी अंगूठा इंजरी रिपोर्ट वह लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित है।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा अपने बयानों वह कहा गया कि **सरोज को चोटें गिरने से आ सकती हैं। हरिमोहन को भी चोटें गिरने से आ सकती हैं। धीरेंद्र को भी चोटें गिरने से आ सकती हैं।** यह चोटें 24.06.2010 के कुछ दिन पहले की भी हो सकती हैं। **उक्त तीनों मजरूबों वह किसी की भी चोट बंदर के काटने की नहीं थी** और न ही मजरूबों ने चिकित्सा परीक्षण के दौरान इस तरह की बात बतायी थी। **मजरूब**

धीरेंद्र के पैर वह बंदर काटने की कोई चोट नहीं थी। यह कहना गलत है कि उसने वादी के प्रभाव वह गलत चिकित्सीय आख्या बनाई हो।

मेडिकल रिपोर्ट **चुटहिल सरोज कुमारी** प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल के शरीर पर कुल दो चोटें पायी गयी थी, जिसमें से – 1– Healed abraded wound, size 1 cm x .5 cm area over forehead Rt. side, just above outer edge of Rt. eyebrow. 2– abraded healed wound with removed crust, skin closely is less than other healthy side over Rt parietal bone of skull size .5 cm x .5 cm, 14 cm above from tragus. चोटें आना अंकित है। तथा ओपीनियन में Simple in nature, by rubbing body part against rough surface about one week old. अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट **चुटहिल हरीमोहन** प्रदर्श क–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल के शरीर पर कुल तीन चोटें पायी गयी थी, जिसमें से – 1– An crusted abraded wound in denuding phase reddened and less elashe. surface over front of Rt. kneee sized 0.5 cm x 0.5 cm 2– C/o back pain, tenderness present on deep palpation. No external evident injury seen 3– C/o Pain over base of extendor muscle of left forearm, tenderness on deep palpation. चोटें आना अंकित है। तथा ओपीनियन में Simple in nature, No.1 by rubbing body part against rough surface about one week old. अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट छायाप्रति कागज सं0–9क/16 **चुटहिल धीरेन्द्र** प्रदर्श क–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल के शरीर पर चोट 1– An abraded wound in Healing phase, crust being in phase of denudation over medial malleolus of Rt. leg length about 1 cm. अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 01.07.2010 को किया गया है, चिकित्सक द्वारा उपरोक्त अपनी राय में उपरोक्त चुटहिलों को उक्त चोटें एक सप्ताह पूर्व आने का उल्लेख किया है, जो अभियोजन कथानक से मेल खाती है। इस प्रकार उपरोक्त चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन कथानक की पुष्टि करती हैं।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–4 जोकि उपरोक्त चुटहिलों की चोटों का मेडिकल कर्ता है, के द्वारा अपने बयानों में चुटहिलों को उपरोक्त चोटें मेडिकल परीक्षण करने दिनांक 01.07.2010 से एक सप्ताह पूर्व की होने का बयान दिया है, जोकि अभियोजन कथानक की पुष्टि करती है, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि **उक्त तीनों मजरूबों वह किसी की भी चोट बंदर के काटने की नहीं थी** और न ही मजरूबों ने चिकित्सा परीक्षण के दौरान इस तरह की बात बतायी थी। **मजरूब धीरेंद्र के पैर में बंदर काटने की कोई चोट नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी किसी भी चुटहिल के शरीर पर बन्दर के काटने की कोई चोट**

नहीं पायी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयान से बन्दर के काटने के अतिरिक्त शेष अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

साक्षी पी0डब्लू0–5 कां0मु0 इन्द्रपाल सिंह (चिक लेखक) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा वह कथन किया कि वह दिनांक 01.07.2010 को थाना मुस्करा वह कांस्टेबिल मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन उसने सरोज कुमारी पुत्री वीरेंद्र निवासी ग्राम बंडवा थाना मुस्करा जिला वहीरपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–489ए/2010 धारा–289, 336, 504 भा०दं०सं० बनाम खूबचंद, अशोक व श्रीमती पुष्पा निवासी ग्राम बंडवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया था जिसका खुलासा जीडी नं०–38 समय 18.45 दिनांक 01.07.2010 वह किया था। साक्षी ने पत्रावली वह संलग्न कागज सं०–4क चिक एफआईआर जरिये वीसी अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया। पत्रावली में शामिल कागज सं–7क जीडी की कार्बन प्रति को साक्षी ने प्रमाणित करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया। चुटहिल सरोज कुमारी के डाक्टरी परीक्षण हेतु मजरूबी चिट्ठी बनाकर होमगार्ड रामअवतार के साथ पीएचसी मुस्करा भेजा गया था। इस संबंध वह विवेचक ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा वह यह बयान दिया गया कि प्रदर्श क–4 वह मुकदमा अपराध सं वह ओवरराइटिंग है और जहां दिनांक व समय दिनांक रिपोर्ट की गयी के कालम वह जो उसने दर्ज किया है उसमें ओवरराइटिंग है। उसने पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन व तारीख दर्ज नहीं की है बल्कि डाक से लिख दिया है। असली कायमी जीडी उसके सामने नहीं है। उसे धीरेंद्र व हरमोहन ने बताया था कि पैरों व हाथों वह बंदर द्वारा कटाया गया है। यह कहना गलत है कि उसने वादी के प्रभाव से एंटीटाइम रिपोर्ट दर्ज की है।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–5 उपरोक्त मामले का चिक एफ0आई0आर0 कायमी जी0डी0 लेखक तथा औपचारिक पुलिस साक्षी है, उक्त साक्षी ने वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–489ए/2010 धारा–289, 336, 504 भा०दं०सं० बनाम खूबचंद, अशोक व श्रीमती पुष्पा पंजीकृत किये जाने तथा उसका खुलासा जीडी नं०–38 समय 18.45 दिनांक 01.07.2010 पर अपने लेखक व हस्ताक्षर में अंकित किये जाने कथन किया है तथा एफ0आई0आर0 व जी0डी0 कायमी को क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप साबित किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी मौके का साक्षी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा अपने बयानों से मात्र अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को साबित किया गया है।

साक्षी पी0डब्लू0–6 उ0नि0 रामजियावन (विवेचक) ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा वह कथन किया कि दिनाक 01.07.2010 को वह थाना

मुस्करा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को मु०अ०सं०–489ए/20 धारा–289,336,504 भा0दं0सं0 की विवेचना ग्रहण की थी। इसी दिनांक को पर्चा नं०–1 किता किया था जिसमें नकल चिक व नकल रपट बयान एफआईआर लेखक इन्द्रपाल सिंह का केस डायरी वह अंकित किया था। दिनांक 03.07.2010 को पर्चा नं०–2 किता किया था जिसमें बयान वादी सरोज कुमारी का बयान, बयान मजरुब व चश्मदीद हरि मोहन अंकित किया था तथा उसके पैर वह बंदर द्वारा काटने की चोटों का अवलोकन किया तथा वादिनी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया था। पत्रावली वह सलग्न कागज सं०–8क नक्शा नजरी को साक्षी ने उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया। दिनांक 03.07.2010 को पर्चा नं०–2ए किता किया था जिसमें समयी साक्षी हरिहर व प्रताप सिंह का बयान अंकित किया था। दिनांक 30.07.2010 को पर्चा नं०–3 किता किया था जिसमें प्रताप सिंह व सोनेलाल व रामरतन, राजाराम, गोविन्ददास भूतपूर्व प्रधान का बयान पूछताछ कर केस डायरी वह अंकित किया था। दिनांक 04.08.2010 को पर्चा न०–4 किता किया था जिसमें बयान बलराम, स्वामीदीन, देवीदीन, हल्के व देवपाल, इकराम का बयान केस डायरी वह अंकित किया था तथा अभियुक्तगण के घर व गांव वह जाकर जानकारी की थी। मुल्जिम दस्तयाब नहीं हुए थे व गिरफ्तारी हेतु एनबीडब्लू जारी करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति ली थी। दिनांक 19.08.2010 को पर्चा नं०–5 किता किया था, दिनांक 19.08.2010 को पर्चा नं०–5ए किता किया था जिसमें अभियुक्तगण की तलाश की गयी, दिनांक 25.09.2010 को पर्चा नं०–6 किता किया, जिसमें गांव व मुहल्लो के लोगों से अभियुक्तगण के बारे वह पूछताछ की। दिनांक 05.09. 2010को पर्चा नं०–7 किता किया था, दिनांक 04.11.2010 को पर्चा नं०–8 किता किया था जिसमें अभियुक्तो की तलाश हेतु ग्राम बंड़वा गया था और जिसमें दयानन्द, जयकरन, जगन्नाथ, खलक सिंह, श्रीकृष्ण से पूछताछ की थी तथा बयान अंकित किया था। दिनांक 17.11.2010 को पर्चा नं०–9 किता किया था। दिनांक 21.11.2010 को पर्चा नं०–10 किता किया था जिसमें ग्रामवासी बंड़वा के लोगों से सम्पर्क करके पता किया तो अभियुक्तगण के बारे वह कोई संतोषजनक सूचना नही मिल सकी। ग्रामवासी श्रीपाल, रामआसरे, श्री कृष्ण व जयसिंह आदि को अवगत कराया गया माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू जारी हो चुका है। दिनांक 23.11.2010 को पर्चा नं०–11 किता किया था। दिनांक 23.11.2010 को पर्चा नं०–11ए किता किया था जिसमें अभियुक्त खूबचंद्र का बयान अंकित किया था। दिनांक 24.11.2010 को पर्चा नं०–12 किता किया था जिसमें बयान चश्मदीद व मजरूब गवाह धीरेन्द्र तथा चश्मदीद साक्षी संदीप कुमार का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 25.11.2010 को पर्चा नं०–13 किता किया जिसमें अभियुक्तगण का जूनियर हाई स्कूल बंडवा के पास चबूतरे वह बैठने की सूचना पर बताए हुए स्थान पर अभियुक्त

चबूतरे पर बैठा था उसने अपना नाम अशोक पुत्र खूबचन्द्र निवासी बंड़वा थाना मुस्करा बताया अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया। दिनांक 26.11. 2010 पर्चा नं०–14 किता किया था, दिनांक 27.11.2010को पर्चा नं०–15 किता किया, जिसमें बयान डॉक्टर श्री आशुतोष मिश्रा पी.एच.सी मुस्करा का बयान अंकित किया व अभियुक्ता श्रीमती पुष्पा का बयान केस डायरी वह अंकित किया था। तमामी विवेचना व वादी की तहरीर व घटना स्थल का निरीक्षण तथा बयान गवाहों के आधार पर अभियुक्तगण खूबचंद्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरुद्ध आरोप पत्र स0–163/2010 धारा 289,336,504 भा0दं0सं0 माननीय न्यायालय वह प्रेषित किया था। पत्रावली सलग्न कागज सं०–3क वही आरोप पत्र को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्रों क्रमशः प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया गया।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि वह सन् 2010 से 2012 तक थाना मुस्करा वह तैनात रहा है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु जब दबिश देने गया था तो उसकी रवानगी जी.डी. को विवेचना वह सम्मिलित नही किया है। उसे जानकारी नही थी कि अभियुक्त पुष्पा ने जयपाल वगैरह के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा थाना मुस्करा वह पंजीकृत कराया था। उक्त अपराध का मु०अ०सं०–489ए/2010 है उसे इस बात की जानकारी है कि अ०सं० वह 'ए' शब्द तभी लिखा जाता था जब कोई क्रास केस थाना हाजा वह पहले से पंजीकृत हुआ हो। उसने नक्शा नजरी वादी मुकदमा की निशादेही पर बनाया था। घटना स्थल के आस पास रंतदेव, चौनू, किशोरीलाल, मुन्नीलाल के मकान बने है। अभियुक्तगण का मकान घटना स्थल से कितनी दूर है इस समय याद नही है वादीगण के मकान कितनी दूर है इस समय याद नही है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रभाव मे मैने गलत आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया हो। यह कहना गलत है कि उसने मौके का कोई नक्शा नजरी घटना स्थल पर जाकर न बनाया हो। यह कहना भी गलत है कि वह मुकदमे को बल देने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।

अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों के परिप्रेक्ष्य में नक्शा नजरी कागज सं0–8क के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 में 1– A से चिन्ह → → से अभियुक्तगण के आना बताया गया है। 2– B से चिन्ह –0–0–0 से मजरूबान के आने का रास्ता बताया गया है। 3– घटनास्थल के पूरब से पश्चिम तरफ आर0सी0सी0 बस्ती भीतर ग्राम बण्डवा बताया गया है। 4– घटनास्थल के अन्दर तरफ मकान कच्चा रन्तदेव निवासी बण्डवा दर्शाया गया है तथा उसी के बगल में मकान कच्चा चैनू का दर्शाया गया है। 5–घटनास्थल के दक्षिण तरफ मकान कच्चा मुन्नीलाल दर्शाया गया है तथा उसकी के बगल में मकान पक्का किशोरीलाल का दर्शाया गया है। इस

प्रकार उक्त नक्शा नजरी में भी कथित घटनास्थल रन्तदेव के मकान के सामने का दर्शाया है, जोकि अभियोजन कथानक में बताये गये घटनास्थल रन्तदेव के मकान के सामने होने के तथ्य की पुष्ट करता है।

इस प्रकार उक्त साक्षी पी0डब्लू0–6 जोकि उपरोक्त मामले का विवेचक तथा औपचारिक पुलिस साक्षी है, ने अपने बयानों वादिनी मुकदमा की निशादेही पर घ ाटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किये जाने का कथन करते हुए नक्शा नजरी नजरी को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी प्रपत्रों को प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 में साबित किया। उपरोक्त मामले की तमामी विवेचना व संबंधित साक्षी के बयान व अन्य साक्ष्य संकलित करने पर पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियुक्तगण खूबचंद्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरुद्ध आरोप पत्र स0–163/2010 माननीय न्यायालय वह प्रेषित किया था, जिसे उसके द्वारा प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया। इस प्रकार उक्त साक्षी मौके का साक्षी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा मात्र अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को साबित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के पास उक्त अपराध कारित करने का कोई हेतुक (motive) प्राप्त नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध कारित करने का कोई प्रमाणिक हेतुक प्राप्त होना सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियोजन की ओर से उपरोक्त के संबंध में यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के पास उपरोक्त घटना कारित करने का पर्याप्त हेतुक (motive) प्राप्त था। इस सबंध में साक्षी पी0डब्लू0–1 जोकि उपरोक्त मामले का चुटहिल एवं वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में हेतुक के संबंध में यह बयान दिया कि **उसके चाचा का लड़का और खूबचन्द्र का भाई गयादीन खेल रहे थे, संदीप के 15 रूपये गयादीन लिये था, गयादीन ने रूपया देने से मना किया तो इसी में झगड़ा हुआ।** इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 ने अपने बयानों में कहा कि **घटना दिनाँक 24.06.2010 समय सुबह 9 बजे की रंतदेव के मकान के पास की है। वहाँ पर गयादीन व संदीप दोनों खेल रहे थे। गयादीन संदीप के पन्द्रह रुपये लिये था संदीप ने गयादीन से अपने पन्द्रह रुपये मांगे तो संदीप से गयादीन लड़ाई झगड़ा करने पर उतारु हो गया व गंदी गंदी गाली देने लगा और वह वही पर आ गया था। वहाँ पर ज्यादा शोर शराबा होने से खूबचन्द्र उसकी पत्नी पुष्पा व उसका बेटा अशोक वहाँ पर आ गये थे और वह लोग भी आकर गाली गलौज व मारपीट करने लगे।** साक्षी पी0डब्लू0–3 ने भी अपने बयानों में यह कथन किया कि **उसके छोटे भाई संदीप से खूबचन्द्र का बड़ा भाई गयादीन पन्द्रह रुपये लिये था। जब उसके भाई संदीप ने अपने पैसे मांगे तो गयादीन गाली–गलौज करने लगा तथा**

मारने पीटने को तैयार था। इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त तीनों साक्षी पी0डब्लू0–1 जोकि उपरोक्त मामले का वादिनी मुकदमा व चुटहिल साक्षी है, के द्वारा अपने बयानों में **संदीप से खूबचन्द्र का बड़ा भाई गयादीन पन्द्रह रुपये लिये था। जब उसके भाई संदीप ने अपने पैसे मांगे तो गयादीन गाली–गलौज करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने व मारपीट होने** का हेतुक उभर कर सामने आता है। यद्यपि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय की निम्न निर्णयज विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है : –

निर्णयज विधि **धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 759,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हमेशा आवश्यक नहीं होता कि अभियोजन अपराध कारित करने के पीछे एक निश्चित हेतुक स्थापित करें। यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि अन्यथा सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तो हेतुक के अभाव के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अपराध का हेतुक का मुख्य कारण वादिनी मुकदमा के चचेरे भाई और खूबचन्द्र का भाई गयादीन के बीच ताश के खेल के दौरान संदीप के 15 रूपये गयादीन ने रूपया देने से मना करने के कारण झगड़ा **होना व अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित किये जाने का स्पष्ट बयान दिया है।** इस प्रकार अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित हो रहा है कि अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के पास उपरोक्त घटना कारित करने हेतु पर्याप्त हेतुक प्राप्त था तथा अभियोजन द्वारा हेतुक पूर्णतया साबित किया गया है, इस प्रकार बचाव पक्ष का उक्त तर्क बलहीन हो जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में स्वयं को निर्दोष बताते हुए वादिनी मुकदमा द्वारा रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है। इसके साथ ही अभियुक्तगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध एक अन्य मुकदमा विचाराधीन होना बताया है। जिसके संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कागजात सूची 153ख से कागज सं0–154ख/2 नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–489/2010, राज्य प्रति जयपाल आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर, कागज सं0–155ख/2 नकल आरोप पत्र मु0असं0–489/2010, कागज सं0–156ख/2 नक्शा नजरी, कागज सं0–157ख/2 लगायत 157ख/3 नकल फर्देकाम मु0अ0सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि, कागज सं0–158ख/2 लगायत 158ख/4 नकल बयान पी0डब्लू0–4 चिकित्सक धर्मेन्द्र सिंह प्रपत्र दाखिल किये हैं। जिससे यह परिलक्षित होता है कि उपरोक्त मामले के अभियुक्तगण की ओर वादिनी मुकदमा व अन्य के विरूद्ध एक

अन्य मुकदमा विचाराधीन है, जोकि उपरोक्त मामले का क्रास केस है। उपरोक्त मामले की घटना की दिनांक व क्रास केस की घटना की दिनांक 24.06.2010 एक ही है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयानों व अभियोजन प्रपत्रों के विश्लेषण उपरांत यह साबित होता है कि अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे रन्तदेव लोधी के मकान के पास बहद ग्राम बण्डवा बहद थाना मुस्करा जिला हमीरपुर में अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार कर चोटें पहुंचाने तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित करने के तथ्य को अभियोजन द्वारा अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया गया है। जबकि चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट व साक्षी पी0डब्लू0–4 चिकित्सक के बयानों के अनुसार चुटहिलों को बन्दर के काटने की कोई चोट नहीं पायी गयी है, ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके छोड़ देने व बन्दर द्वारा धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लेने के तथ्यों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

अतः निर्णायक बिन्दु सं0–2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य की विस्तारपूर्वक विश्लेषण किये जाने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार कर चोटें पहुंचाने तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित करने के तथ्य को अभियोजन द्वारा अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। जबकि अभियुक्तगण द्वारा अपना पालतू बन्दर वादिनी सरोज कुमारी व उसके पक्ष के लोगों की ओर इशारा करके छोड़ देने व बन्दर द्वारा धीरेन्द्र व हरीमोहन के पैरों में काट लेने के तथ्यों को अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है।

अतः उपरोक्त के मामले में अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–336/34, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्धगण किये जाने योग्य है। जबकि अभियुक्तगण उपरोक्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–289 भा0दं0सं0 के अपराध से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विशेष वाद सं0–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र व 02 अन्य मु0अ0सं0–489ए/2010 थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्तगण **खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–336/34, 504 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

विशेष वाद सं0–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र व 02 अन्य मु0अ0सं0–489ए/2010 थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्तगण **खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–289 भा0दं0सं0 के अपराध में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

उपरोक्त अभियुक्तगण जमानत पर है। उसके बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता हैं।

अतः अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा को न्यायिक हिरासत में लिया जाए। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
विशेष वाद संख्या–14/2013
राज्य बनाम खूबचन्द्र व 02 अन्य

05.05.2026

बाद लंच पत्रावली दोषसिद्धगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। दोषसिद्धगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता राकेश यादव (एड0) को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा दिनांक 24.06.2010 को सुबह 09 बजे अभियुक्ता पुष्पा देवी ने अन्य अभियुक्तों से एकराय होकर अपने हाथ में लिए ईंट से वादिनी सरोज कुमारी के सिर पर प्रहार कर चोटें पहुंचाने तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया। दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्धगण को अधिकतम् दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया गया है कि दोषसिद्धगण गरीब मजदूर व्यक्ति हैं। उनका यह प्रथम अपराध है तथा एक ही परिवार के हैं, जिनमें एक महिला है। उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्धगण की अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोषसिद्धगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा द्वारा बताया गया है कि वे गरीब अत्यन्त गरीब हैं तथा एक ही परिवार के हैं, कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त अपराध में अधिकतम 02 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दोषसिद्धगण द्वारा यह कहा गया है कि यह उसकी प्रथम अपराध है। मामले के समस्त तथ्यों एवं दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार से न्यायहित में दोषसिद्धगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा को तत्काल दण्डित करने के स्थान पर, परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाना, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा।

दण्डादेश

विशेष वाद सं०–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र एवं 02 अन्य, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर में दोषसिद्धगण **खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा** को आरोपित धारा–336/34, 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में आज दिनांक 05.05.2026 को लंच से पूर्व दोषसिद्ध किया जा चुका है।

दोषसिद्धगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए तत्काल सजा देने के बजाय की सदाचरण की परिवीक्षा में इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि दोषसिद्धगण एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशान्ति कायम रखेगें तथा सदाचारी बना रहेंगें। उपरोक्त शर्तों के भंग होने की दशा में सिद्धदोषगण न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्डादेश भोगे जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित होंगे।

उपरोक्त दोषसिद्धगण खूबचन्द्र, अशोक व श्रीमती पुष्पा को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे न्यायालय के समक्ष 25,000/– रूपये की अण्डरटेकिंग इस आशय का निष्पादित करे कि परिवीक्षा अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष उपस्थित होकर उपरिवर्णित शर्तों के सम्बन्ध में 25,000/– रूपये की दो प्रतिभू एवं स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करेंगे।

जिला परिवीक्षा अधिकारी, हमीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरिवर्णित अवधि एक वर्ष तक दोषसिद्धगण को निगरानी में रखेगें और उनके आचरण के सम्बन्ध में न्यायालय को नियमानुसार सूचित करेगें।

दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा को क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/–रूपये की धनराशि देय होगी।

इस निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये एवं दोषसिद्धगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर को इस आशय से भेजी कि उपरोक्त से संबंधित योजनाओं का लाभ पीड़ित पक्ष को प्रदान कराया जाए।

इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, हमीरपुर को धारा–365 द०प्र०सं० के अनुपालन में नियमानुसार सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459